राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./( )/2017/ 561 दिनांक : 31.7.17

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामो के सम्मुख अकिंत परीक्षा/प्रशिक्षण में स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	श्री दीपचन्द शर्मा, लैब तकनीशियन	अजमेर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	Bsc(Bio)द्वितीय वर्ष 2017–18 स्वयंपाठी
2.	श्री राजवीर सिंह, लैब टेक्नीशियन	हनुमानगढ़	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर	एम.ए. अंग्रेजी साहित्य वर्ष–2018 स्वयंपाठी
3.	श्री विजय कुमार त्रिपाठी, लैब टेक्नीशियन	अजमेर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा	एम.ए.फाईनल परीक्षा–2017 स्वयंपाठी
4.	श्री राजेश कुमार विजय, लैब टेक्नीशियन	जयपुर	निम्स विश्वविधालय	B.Sc. MLT IIIrd Year 2016–17 स्वयंपाठी
5..	श्री सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय, लैब टेक्नीशियन	बीकानेर	राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर	RAS साक्षात्कार 2016 हेतु अनुमति

शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरण हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीं ।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगीं उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है ।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी ।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा ।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है ।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जायेगा ।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नही रहेगा।
14. इन्हे केवल परीक्षा/साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
15. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोटः–उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(डॉ.बी0एल0सैनी)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./(   )/2017/ 561   दिनांक : 31-7-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित प्रधानाचार्य/अधीक्षक, चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/प्रा0स्वा0 केन्द्र।
6. प्रभारी, सर्वर रुम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।